निदेशक शोध कार्यालय
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110 (उ0प्र0)

डा0 कमल खिलाड़ी
निदेशक शोध

पत्रांकः सवप/2025/5009
दिनांकः 21/08/25

कार्यालय ज्ञापन

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ के मुख्य एवं पुराना परिसर पर विभिन्न आयु वर्ग के कुल 1359 फलदार वृक्षों की फलत की ब्रिकी 02 वर्ष (वर्ष 2026–27 एवं वर्ष 2027–28) हेतु सीलबन्द कुटेशन निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 11.09.2025 को पूर्वान्ह 11:30 बजे तक प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन पूर्वान्ह 12:00 बजे ठेकेदारों के सामने खोली जाएगी। कुटेशन सम्बन्धित शर्ते/सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.svpuat.edu.in व अधिष्ठाता उद्यान महाविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक केता कुटेशन प्रपत्र के साथ रू0 10,000/– धरोहर राशि के रूप जमा करना अनिवार्य है।

(कमल खिलाड़ी)
निदेशक शोध

शोध निदेशालय
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110 (उ0प्र0)

कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के उद्यान अनुसंधान केन्द्र के सिवाया खण्ड एवं पुराना परिसर पर स्थित विभिन्न फल प्रजातियों कें बगीचों की फलत की ब्रिकी दो वर्ष (वर्ष 2026–27 एवं 2027–28) हेतु वृक्षों की संख्या, फलत का मूल्यांकन एवं सील बन्द कुटेशन के माध्यम सें ब्रिकी कराने के लिए आवश्यक नियम व शर्ते निर्धारित करने हेतु दिनांक 14.08.2025 को सांय 3:30 बजे शोध निदेशालय में समिति द्वारा बैठक की गई। जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

1. कुटेशन प्रपत्र अधिष्ठाता उद्यान महाविद्यालय से रू0 500/– मात्र देकर प्राप्त किये जा सकते हैं प्रपत्र में सभी जानकारियां स्पष्ट रूप से भरकर अधिष्ठाता उद्यान महाविद्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दिनांक 11.09.2025 पूर्वान्ह 11:30 AM बजे तक जमा कर सकते है।
2. प्रपत्र को भरकर तथा रूपये 10,000 जमानत राशि नकद जमा अथवा ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकते है जिसको द्वितीय वर्ष की किस्त में समायोजित कर लिया जायेगा।
3. कुटेशनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उसी दिन दिनांक 11.09.2025 को दोपहर 12:00 बजे ठेकेदारों के सामने खोले जायेगें।
4. उच्चतम मूल्यदाता द्वारा, लगाये गये मूल्य की 25% धनराशि को नकद अथवा ऑनलाईन विश्वविद्यालय के खाते मे जमा करना होगा। ब्रिकी जहॉ है जैसा है के आधार पर की जायेंगी व बाद मे किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम कुटेशनदाता की कुल स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत प्रथम वर्ष के आम के फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि द्वितीय वर्ष के आम के फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी।
6. सभी फलों की ब्रिकी अवधि दो वर्ष (वर्ष 2025–26 एवं 2026–27) के लिए होगी। नीलामी अवधि अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2027 के लिए मान्य रहेगी।
7. नीलामी छोड़ने के बाद मे सस्य कियाएं जैसे खाद/उर्वरक डालना, दवाई छिड़काव व पानी लगाना आदि कार्य /खर्च केता द्वारा वहन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा केवल सिंचाई हेतु नलकूप व बाग जुताई हेतु टैक्टर उपलब्ध कराया जायेगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर फल वृक्षों पर परीक्षण कार्य कराये जाते है। जिनमें पेड़ों में खाद/उर्वरक डालना, दवाई आदि की स्प्रे, प्रूनिंग एवं अन्य कार्य उददेश्यों के अनुसार कराये जाते रहेगें।
9. बाग मे खडे किसी भी पेड़ की कटाई छटाई केता द्वारा विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जायेगी।
10. आवश्यकतानुसार शोध कार्यो हेतु ठेकेदार को 15 किग्रा0 आवंला तथा 40 किग्रा आम, 20 किग्रा अमरूद व 20 किग्रा0 नाशपाती बिना मूल्य के देना होगा।
11. कुटेशन स्वीकृति के उपरान्त बाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि ठेकेदार द्वारा बाग को किसी प्रकार की क्षति पहुॅचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा देय होगी/अथवा जमानत राशि से कटौती कर ली जायेगी।
12. उच्च कुटेशनदाता द्वारा नीलामी के समाप्त होने से पूर्व यदि बीच में ही ठेका छोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति मे उसके द्वारा पूर्व में जमा की गयी कोई भी धनराशि वापिस नहीं की जायेगी, साथ ही शेष फलत की ब्रिकी विश्वविद्यालय नियमानुसार करायी जायेगी।
13. किसी भी विवाद पर विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14. कुटेशन स्वीकार करना या न करना अथवा रद करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन मे पूर्ण निहित होगा।

विश्वविद्यालय परिसर में फलतः ब्रिकी हेतु उपलब्ध विभिन्न आयु वर्ग के फल वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	फल प्रजाति का नाम	पेड़ों की संख्या					
		पुराना परिसर	सिवाया खण्ड	परियोजना क्षेत्र	हर्बल गार्डन	मन्दिर प्रक्षेत्र	योग
1.	आम	225	226+20 छोटे	50 छोटे	–	03 छोटे	524
2.	नींबू	01	74 मध्यम	–	–	–	75
3.	अंगूर	41	–	–	–	–	41
4.							
5.	किन्नू	–	–	–	–	100 छोटे	100
6.	अमरूद	80	–	100 छोटे	–	14 छोटे	194
7.	आंवला	17	18 छोटे	–	–	–	35
8.	लींची	22 छोटे	–	–	–	–	22
9.	कटहल	04	–	–	–	–	04
10.	आड़ू	14 छोटे	–	–	–	15 छोटे	29
11.	नाशपाती	03	13	100 छोटे	–	–	116
12.	बेलपत्थर	11	06 छोटे	–	–	–	17
13.	पुलम	02	–	–	–	–	02
14.	करौंदा	03 छोटे	–	100 छोटे	08 छोटे	50 छोटे	161
15.	लोकाट	–	–	–	–	15 छोटे	15
19.	सेब	24 मध्यम	–	–	–	–	24
	कुल योग	447	357	350	08	147	1359

निदेशक शोध

केता (कुटेशन दाता) का विवरणः–

1. केता का नाम ....
2. केता का पता (फोन नं0 सहित) ....
   ....
3. केता द्वारा लगायी गयी ब्रिकी हेतु कुल धनराशि (मूल्य) रूपये ....
   मूल्य शब्दों में ....
4. जमानत राशि रूपये 10000 के डिमांड ड्राफ्ट की संख्या ....

मेरे द्वारा उपरोक्त तालिका में दिये गये पेड़ों का भली –भाति निरीक्षण कर लिया गया है एवं मैं सभी शर्तों से सहमत हूँ, तथा तदानुसार कार्यवाही करने के लिए तैयार हूँ।

केता के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

(संदीप राणा)
वित्त नियंत्रक
नामित सदस्य

संयुक्त निदेशक, HRC
सदस्य सचिव

(एस0 के0 त्रिपाठी)
प्राध्यापक,फल विज्ञान
सदस्य

अधिष्ठाता, उद्यान
सदस्य

निदेशक शोध
अध्यक्ष